

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.in

क्रमांक:-सहायता/2020/1843

दिनांक: 8-7-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार, जयपुर के पत्रांक 4948 दि. 22.8.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दि. 14.8.2019 को वर्षा के कारण एक महिला गंभीररूप से घायल हो जाने तथा स्थाई रूप से विकलांगता (65%) आ जाने से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता स्वीकृत करने हेतु नीचे अंकितानुसार सहायता राशि बजट सीमा के अधीन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम तहसील	घायल का नाम, वल्विदयल मय पता	घायल की प्रकृति	देय राशि		
				केन्द्रीय मद 75 %	राज्य मद 25 %	योग
1	जयपुर	श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री गोपीचन्द वर्मा उम्र 40 वर्ष नि. 1, शिवभवन, हीदा की मोरी, जयपुर को	गंभीर घायल एवं स्थाई विकलांग	150000	50000	200000
योग राशि				150000	50000	200000

(अक्षरों रूपये दो लाख मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा:-

घायल हेतु बजट मद
मांग संख्या-34
2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत
02-बाढ़ चक्रवात आदि
101-आनुग्रहिक राहत
(16)- बाढ़ क्षेत्र में अनुग्रहिक राहत
[03] - गंभीर चोट पर आनुग्रहिक राहत
12- सहायतार्थ अनुदान (आ)

- 1- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 2- उपरोक्त अंकित प्रभावित के स्थाई रूप से विकलांग होने का प्रमाणिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

दिनांक: 8-7-2020

क्रमांक:-सम/1844-49

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- 2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राज. जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी शहर जयपुर
- 4- उपखण्ड अधिकारी जयपुर
- 5- उपकोषाधिकारी,
- 6- तहसीलदार जयपुर को पालनार्थ।
- 7- गार्ड पत्रावली।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर